

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर


पृष्ठांकन क्रमांक 12902 /
चार-3-13/2018

बिलासपुर, दिनांक 06/12/2021

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर
अटल नगर (छ0ग0) के परिपत्र क्रमांक 807/एफ-2016-04-03303
/वित्त/नियम/चार, दिनांक 01.12.2021 (वित्त निर्देश 30/2021) की छायाप्रति ;

1. प्रधान न्यायाधीश/न्यायाधीश (परिवार न्यायालय) दुर्ग / रायपुर / बिलासपुर / रायगढ़ / अम्बिकापुर / कोरबा / मनेन्द्रगढ़ जिला -कोरिया / जॉजगीर-चांपा / राजनांदगांव / जगदलपुर / धमतरी / महासमुंद / कबीरधाम (कवर्धा) / उत्तर बस्तर कांकेर / जशपुर / बेमेतरा / बलौदा बाजार / सूरजपुर / कोण्डागांव (छ0ग0),
 2. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव / दुर्ग / रायपुर / बिलासपुर / रायगढ़ / बस्तर (जगदलपुर) / दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा / सरगुजा (अम्बिकापुर) / जशपुर / कबीरधाम (कवर्धा) / कोरबा / धमतरी / जॉजगीर-चांपा / कोरिया (बैकुण्ठपुर) / महासमुंद / उत्तर बस्तर (कांकेर) / बलौदा बाजार / बालोद / सूरजपुर / बेमेतरा / कोण्डागांव / मुंगेली / बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ0ग0)
 3. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), राजनांदगांव / दुर्ग / रायपुर / बिलासपुर / सरगुजा (अम्बिकापुर) / बस्तर (जगदलपुर) / कोरबा / रायगढ़ / जॉजगीर-चांपा / जशपुर (छ0ग0),
 4. न्यायाधीश, कॉम्प्लेक्स कोर्ट (जिला स्तर), योजना भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेषित ।
5. बजट अधिकारी, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ अंग्रेषित ।
 6. लेखाधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ अंग्रेषित ।
 7. सहायक (वेतन/पेंशन), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेषित ।
 8. एन0आई0सी0 इंचार्ज, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की ओर उच्च न्यायालय को वेबसाईट में अपलोड किए जाने हेतु अंग्रेषित ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


(आर0पी0 देवांगन)
बजट अधिकारी

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,

क्रमांक 807/एफ 2016-04-03303/वित्त/नियम/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 01/12/2021
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय:-छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अन्तर्गत बकाया वेतन का भुगतान
संदर्भ:-वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 403/एफ 2016-04-03303/वित्त/नियम/चार, दिनांक
8.8.2018
वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 487/एफ 2016-04-03303/वित्त/नियम/चार, दिनांक
11.10.2019
वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 226/एफ 2016-04-03303/वित्त/नियम/चार, दिनांक
28.03.2021

—0—

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2016-04-03303/वित्त/नियम/चार, दिनांक 19
मई, 2017 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2016 से छत्तीसगढ़ वेतन
पुनरीक्षण नियम, 2017 लागू किया गया है, तथा दिनांक 1.7.2017 से नियमित भुगतान किया जाकर
1 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2017 तक 18 माह के बकाया वेतन के भुगतान के संबंध में पृथक
निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया है।

2/ राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवकों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 30 जून, 2017
की अवधि के बकाया स्वत्वों (वेतन एरियर्स) का नगद भुगतान 6 समान वार्षिक किश्तों में करने का
निर्णय लिया गया है। इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक 403/एफ 2016-04-03303/वित्त/
नियम/चार, दिनांक 8.8.2018 द्वारा बकाया वेतन की प्रथम किश्त, ज्ञापन क्र. 487/एफ
2016-04-03303/वित्त/नियम/चार, दिनांक 11.10.2019 द्वारा बकाया वेतन के द्वितीय किश्त एवं
ज्ञापन क्र. 226/एफ 2016-04-03303/वित्त/नियम/चार, दिनांक 28.03.2021 द्वारा बकाया वेतन
के तृतीय किश्त की भुगतान हेतु आदेश जारी किए गए हैं।


3/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि चतुर्थ किश्त के रूप में माह अक्टूबर 2016 से
माह दिसम्बर 2016 तक के बकाया वेतन का भुगतान किया जाए। शेष किश्तों के भुगतान के संबंध
में यथासमय आदेश प्रसारित किया जाएगा।

4/ उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि हेतु अवशेष वेतन देयक तैयार कर कोषालय संहिता भाग-1
के सहायक नियम 268 के प्रावधानों का पालन करते हुए आहरण किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आनंद मिश्रा)
रूप सचिव

S.O. (Pay bills)



1.12.2021
B.O.

पृ.क्रमांक 808 / एफ 2016-04-03303 / वित्त / नियम / चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक DJ / 12 / 2021
प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर, अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
6. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
7. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
9. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त अपर सचिव / विशेष सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी / शोध अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
15. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
16. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला / इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर / बिलासपुर, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

- को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु

23. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु


(इन्द्रप्रकाश रात्रे)
अवर सचिव